



जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय, भोजपुर, आरा

पारा विधिक स्वयंसेवकों के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित हैं।

(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है)

विज्ञापन संख्या 01/2026 दिनांक 20.05.2026

1. आवेदन कौन दे सकता है:—

ऐसे व्यक्ति (महिला/पुरुष) जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के उत्थान में रुचि रखते हैं तथा उनके लिए कार्य करना चाहते हैं, इनमें सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवा निवृत्त सरकारी सेवक, वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, चिकित्सक, छात्र, गैर सरकारी संगठन एवं क्लब के सदस्य, स्वयं सेवा समूह, मैत्री समूह, जीविका आदि के सदस्य एवं अन्य व्यक्ति (विद्वान अधिवक्ता को छोड़कर), जो स्वयं सेवा में रुचि रखते हो आवेदन कर सकते हैं।

2. शैक्षणिक योग्यता:— मैट्रिक पास/ आवेदक को हिन्दी एवं अंग्रेजी लिखने-पढ़ने का ज्ञान होना चाहिए। आवेदक यदि कम्प्यूटर की जानकारी रखते हो तो अपने आवेदन में दर्ज करें उन्हें वरीयता दी जाएगी।

3. आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन एवं प्रवेश पत्र के साथ पूरी तरह भरकर अपने शैक्षणिक योग्यता, आधार कार्ड एवं अन्य योग्यताओं का प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति लगाकर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय परिसर, भोजपुर, आरा के कार्यालय में हाथों-हाथ या पंजीकृत डाक से दिनांक 08.06.2026 तक भेजें। इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन के साथ पचपन रूपयों का डाक टिकट लगा, स्वपता लिखा लिफाफा अनिवार्य रूप से संलग्न करें। आवेदक अपने आवेदन पर अपनी संपर्क संख्या (मोबाईल नं०), ईमेल संख्या अनिवार्य रूप से लिखें।

4. आरक्षण:—चूंकि पारा विधिक स्वयंसेवक को स्वेच्छा से बिना किसी लोभ के कार्य करना है तथा यह कोई सरकारी पद पर भर्ती नहीं है। अतः पदों का आरक्षण नहीं है।

5. पदों की संख्या:— 40 (चालीस) पारा विधिक स्वयंसेवकों के चयन हेतु आरा सदर अनुमण्डलीय क्षेत्र से 14, पीरो अनुमण्डलीय क्षेत्र से 11 एवं जगदीशपुर अनुमण्डलीय क्षेत्र से 15 पारा विधिक स्वयंसेवक का चयन किया जाएगा।

6. पारा विधिक स्वयंसेवकों के कार्य:— पारा विधिक स्वयंसेवकों को अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता, विधिक सहायता के लिए पीड़ितों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बीच सेतु का कार्य, प्राधिकार के प्रबंध कार्यालय एवं विधिक सहायता केन्द्र में विधिक सेवा का कार्य या अन्य कोई कार्य जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय द्वारा सौंपा जाए को करना है।

7. मानदेय:—रु० 750/- (सात सौ पचास रूपया) प्रतिदिन। परन्तु यह मानदेय केवल उन विशेष दिनों के लिए ही भुगतये होगा जिस दिन विधिक सेवा प्राधिकार उन्हें कोई विशेष कार्य करने हेतु सौंपती हैं या अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता शिविरों के आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाता है। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में भुगतान देय होगी।

8. सामान्य अनुदेश।

- (1) आवेदक भोजपुर जिले का निवासी हो।
- (2) शारीरिक रूप से स्वस्थ हो।
- (3) अच्छा चरित्र का हो,
- (4) समाज सेवा में रुचि रखता हो।
- (5) राजनीतिक सक्रियता न हो।

9. आवेदन निम्न प्रारूप में पूर्ण रूप में सादे कागज पर स्वयं हस्तलिखित या टाईप किया हुआ स्वीकार किया जाएगा। आवेदन का प्रारूप <https://bhojpur.dcourts.gov.in> पर उपलब्ध है।

आवेदन भेजने का पता:— " सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय परिसर, भोजपुर, आरा, पिन कोड- 802301" दूरभाष संख्या-06182-222555

अंतिम तिथि :- 08.06.2026

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, भोजपुर, आरा

PR- 004827 (District) 2026-27

उक्त सूचना state.bihar.gov.in/prdbihar से भी प्राप्त की जा सकती है।

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।